INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS

VOLUME 2, ISSUE ,12 December, 2014

ISSN-2320-2882

ORIGINAL ARTICLE

''भोपाल नगर पालिक निगम के सफाई कामगार श्रमिकों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति का समाजशास्त्रीय अध्ययन''

(भोपाल नगर निगम के विशेष संदर्भ में)

कलीराम इवने

शोधार्थी

समाजशास्त्र एवं समाज कार्य विभाग

बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय

भोपाल (म.प्र.)

स्वतंत्रता के उपरान्त भारत में नगरों का विकास चमत्कारिक ढंग से हुआ है। 1951 में भारत के नगरों की जनसंख्या लगभग 6 करोड़ थी जो 2011 तक बढ़ कर 45 करोड़ हो गई। इसका अर्थ यह है कि पिछले साठ वर्षों में नगरों की जनसंख्या लगभग छः गुना बढ़ी है। ''भोपाल नगर पालिक निगम के सफाई कामगार श्रमिकों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति का समाजशास्त्रीय अध्ययन'' भोपाल जो मध्यप्रदेश की राजधानी होने से जहां प्रदेश स्तर के प्रशासनिक कार्यालय एवं अधिकारी वर्ग, कर्मचारी वर्ग निवास एवं कार्य करते हैं। वहाँ किसी प्रकार की गंदगी अथवा अस्वस्थ वातावरण का शहर पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए सफाई कामगारों (सफाई कर्मियों) एवं उनसे संबंध में विभिन्न आर्थिक, सामाजिक शोध कार्य की अत्यन्त आवश्यकता है क्योंकि सफाई कर्मियों का आर्थिक एवं सामाजिक स्तर उनकी कार्यक्षमता एवं कार्यप्रणाली को सीधे प्रभावित करता है। इसलिए इस क्षेत्र में शोध करने से उनकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति का अध्ययन कर भोपाल का वातावरण और अधिक पर्यावरण अनुकूल बनाया जा सकता है।

सफाई कामगार श्रमिकों का सामान्य परिचय

भारत में सामाजिक संरचना जाति व्यवस्था पर आधारित है। जाति व्यवस्था के उत्पन्न होने के पूर्व भारतीय समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। वर्ग शब्द का प्रयोग समाज के दो वर्गों के रंगो गोरे एवं

काले के अंतर के लिए किया जाता था। ऋग्वेद के पुरूष सूत्र में उल्लेखित है सृष्टि की संवृद्धि के लिए ब्रम्हा जी ने अपने मुख से ब्राम्हण, भुजाओं से क्षत्रिय, जाँघ से वैश्य और पैरों से शूद्र को पैदा किया। ब्रम्हा के अंगों से यह विभाजन ऋगवैदिक काल के सामाजिक स्तर को दर्शाता है। भारतीय विचारकों ने इसे सामाजिक व्यवस्था को श्रम विभाजन का एक प्रमुख आधार माना है क्योंकि इसमें प्रत्येक वर्ण का अपना–अपना कार्य सुनिश्चित था। नैतिक दृष्टिकोण से प्रत्येक वर्ण का स्थान कर्त्तव्यों के आधार पर निर्धारित किया गया था, न कि वैयक्तिक अधिकारों की माँग पर।

भारत की वर्ण व्यवस्था भारतीय हिन्दू समाज की एक अनोखी एवं विचित्र व्यवस्था है। कालान्तर में वर्ण व्यवस्था का ही दूसरा रूप जाति व्यवस्था के रूप में विकसित हुआ और इस जाति व्यवस्था के कारण भारतीय समाज का अस्पृश्यता एवं शोषण आधारित समाज के रूप में विकास हुआ।

जाति व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था के चारों वर्णों जिनमें की समानता थी, उनमें असमानता की शुरूआत की एवं ब्राम्हण वर्ण को असीमित अधिकार देकर शूद्र वर्ण को अत्यंत निम्न सोपान में पहुँचा दिया।

जाति व्यवस्था में समाज के चारों वर्णों की प्रस्थिति को विवेचित करने के कारण सामाजिक न्याय एवं परिवर्तन समाप्त हो गया जिससे भारतीय समाज की सामाजिक सुदृढ़ता एवं एकता प्रभावित होने लगी और भारतीय समाज का खण्डीय विभाजन हुआ।

भारतीय सामाजिक संरचना वर्ण के स्थान पर जाति आधारित व्यवस्था के रूप में विकसित होने लगी। जाति व्यवस्था एक विचित्र एवं रोचक संस्था हैं, जिसमें जन्म के आधार पर सामाजिक संस्तरण और खण्ड विभाजन गतिशील होता है। इस व्यवस्था में व्यक्तियों के बीच खानपान, व्यवसाय के सम्बन्ध में कठोर प्रतिबन्ध लागू कर समाज को एक बंद व्यवस्था के रूप में स्थापित किया गया।

भारतीय जाति व्यवस्था ने सभी जातियों को व्यावसायिक रूप से स्थिर कर दिया। इसमें हर एक जाति के व्यवसाय निश्चित हैं और व्यक्ति को इन्हीं में संलग्न होकर जीवन यापन करना पड़ता है। ''व्यक्ति के क्रियात्मक क्षणों का अधिकतम भाग उसकी व्यावसायिक गतिविधियों में व्यतीत होता है। जीवकोपार्जन के अतिरिक्त व्यक्ति की सामाजिक स्थिति से सम्बन्धित विविध प्रतिमानों की प्रतिबिम्बित करता है।''[1] व्यक्ति अपनी विविध आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संपत्ति अर्जित करने का प्रयास करता रहता है। सम्पत्ति अर्जित करने की निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया को व्यवसाय कहते हैं।

भारतीय जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था का ही परिवर्तित स्वरूप है। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत ब्राम्हण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र चार वर्णों में विभाजन कर समाज की जिम्मेदारियाँ इन वर्णों को प्रदान की गई थी जिसके अन्तर्गत एक दूसरे से सम्बन्धित होते हुये कार्य करते थे जिससे सामाजिक व्यवस्था व्यवस्थित रूप से चल रही थी ।

वर्ण व्यवस्था में एक वर्ण से दूसरे वर्ण में व्यक्ति आ जा सकते थे जिससे सभी प्रकार के कार्यों की सामाजिक प्रस्थिति में किसी प्रकार का भेदभाव नही होता था। कालान्तर में वर्ण व्यवस्था के जाति व्यवस्था में परिवर्तित होने में प्रत्येक जाति का निर्धारण जन्म पर आधारित हो गया जिसमें प्रत्येक जाति के कार्य एवं व्यवसाय निश्चित हो गये।

जाति व्यवस्था के अन्तर्गत शूद्र वर्ण के अन्तर्गत आने वाली विभिन्न जातियों एवं उपजातियों की स्थिति अत्यंत दयनीय एवं शोचनीय है।

''अंग्रेजों के शासन में वर्ष 1935 में हिन्दुओं द्वारा वंशानुगत अस्पृश्य समझे जाने वाले समुदाओं के अंतर्गत आने वाली जातियों को अनुसूचित जाति नाम देते हुए राज्य स्तर पर सूचीबद्ध किया गया। इस सूची में 429 समुदाय सम्मिलित हैं। ब्रिटिश शासन में वर्तमान म.प्र., सेन्ट्रल प्रोविनिसेस एवं बरार के नाम से जाना जाता था। इसके अन्तर्गत वर्तमान सम्पूर्ण मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ जिले अमरावती, भण्डारा, नागपुर, वर्धा, चाँदा सम्मिलित थे।

इस प्रदेश में शूद्र वर्ण की विभिन्न 41 जातियों को अनुसूचित जाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया।''[1]

स्वतंत्रता पश्चात सेण्ट्रल प्रोविन्सेस एण्ड बरार नामक प्रांत 1956 में राज्यों के पुर्नगठन के बाद मध्यप्रदेश के नाम से जाना जाने लगा। 1 नवम्बर 1999 में मध्यप्रदेश के एक हिस्से को अलग कर छत्तीसगढ़ नाम से एक नया प्रांत बनाया गया। वर्तमान मध्यप्रदेश में देश के अन्य राज्यों के समान ही विभिन्न जातियाँ निवासरत हैं जिनमें अनुसूचित जाति सम्मिलित है, का महत्वपूर्ण स्थान है। मध्यप्रदेश की अनुसूचित जातियों में ''वाल्मीकी'' एक प्रमुख जाति है।

मध्यप्रदेश में वाल्मीकी जाति पड़ोसी राज्य उत्तरप्रदेश से प्रवर्तित हुई है।

वाल्मीकी समाज की दलित, अस्पृश्य जाति वर्ग में से प्रमुख जाति है। जाति व्यवस्था में इनका स्थान अत्यंत नीचे है। जाति व्यवस्था के अन्तर्गत इन्हे समाज में साफ–सफाई, गंदगी दूर करने की जिम्मेदारी प्रदत्त है। औपनिवेशिक काल में शहरों की सफाई के लिए इन्हें गाँवो से लाकर शहरी समुदाय का अंग बनाया गया। वर्तमान शुष्क शौचालय के निर्माण से वाल्मीकी जाति के सामाजिक जीवन में एक क्रांति आयी है। सिर पर मैला ढोने से इन्हे मुक्ति मिली है। लेकिन आज भी इन्हें सफाई कामगार के नाम से सामाजिक रूप से जाना जाता है।

वाल्मीकि समुदाय एक Cluster अर्थात गुच्छे के रूप में है जिसमें भंगी (Bhangi), मेहतर (Mehtar), चुरहा (Churha), लाल भेगी (Red Beghi) और हलाल कोहर (Halal Kohar), वाल्मीकि एक समुदाय के रूप में विभिन्न सफाई कामगार जातियों का समूह है। ये संस्कृत कवि वाल्मीकि जिन्होंने हिन्दू महाकाव्य रामायण की रचना की है से अपने आप को सम्बन्धित बताते हैं। इसी तरह चुरहा

का अर्थ सुन्दर एवं फारसी शब्दकोष के अनुसार मेहतर का अर्थ राजकुमार या नेता है। सर्वाधिक भंगी शब्द का इनके लिए इस्तेमाल किया गया है। भंगी शब्द की उत्पत्ति कुछ लोग पदार्थ 'भाँग' से भी करते हैं। वास्तव में यह सभी व्याख्या अपनी निम्न स्थिति को उच्च और गरिमा प्रदान करने के लिए वाल्मीकि समाज ने की है।

वाल्मीकी समाज का उत्तरप्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, गुजरात, चंडीगढ़ में मूल निवास माना गया है । यहां से ये देश के अन्य क्षेत्रों में प्रवर्तित हुए हैं। वाल्मीकी समाज वर्तमान में शासन द्वारा संचालित नगर पालिका, अस्पताल और अन्य सरकारी कार्यालयों में सफाई कामगार के रूप में कार्य करने के साथ ही साथ विवाह समारोह में वाद्य यंत्र (बैंड) बजाने के साथ ही साथ मुर्गी पालन, सुअर पालन, बांस की टोकरी, झाड़ू और मजदूरी जैसे कार्यों में संलग्न हैं।

भारत के दलितों में सफाई कामगारों की एक बहुत बड़ी संख्या है। जाति व्यवस्था में वाल्मीकी अर्थात भंगी, मेहतर, जाति प्रारंभ से ही सर्वाधिक शोषित रही है। शोषण के दबाब के कारण ही ये बाबा साहेब अम्बेडकर के अस्पृस्थयता आन्दोलन से नहीं जुड़ सकी। इसीलिये बाबा साहेब अम्बेडकर ने इन्हें सफाई कामगार नाम से सम्बोधित करते हुये इन्हें देश की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए देशव्यापी ''सफाई कामगार संस्था'' के नाम से संगठित किया।

बाबा साहेब का मुख्य उद्देश्य सफाई कामगारों की सामाजिक स्थिति, धार्मिक हिसाब किताब अर्थात् अस्पृश्यता के दानव (राक्षस) से मुक्ति दिलाना था। आप के अथक प्रयासों से भंगियों के शोषण के लिए चल रही बहुत सी प्रथा, कानून समाप्त हुए।

बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने अथक प्रयासों से ही सदियों से चल रहे अलिखित कानून कि ''घर, दफ्तर, नाली, सड़क और अस्पताल की गंदगी, सफाई करने के लिए ही भंगी जातियों ने जन्म लिया है'' को समाप्त कराया। हजारों सालों से हर वर्ग की गंदगी दूर करने वाली जाति ''वाल्मीकि'' को समाज द्वारा विभिन्न घृणित नामों मेहतर, भंगी, शूद्र, स्वीपर कहा जाता रहा है। समाज की घृणा इनके प्रति निरन्तर बढ़ने के कारण ही इनकी सामाजिक स्थिति निम्न होती चली गई। स्वतंत्रता पश्चात भी समाज के इस महत्वपूर्ण वर्ग अछूत से छूत बनाने के लिए किसी भी सरकार द्वारा विशेष कदम नही उठाये गये। आजादी के प्रारंभिक दिनों में तो नगर निगम, नगर पालिका, स्थानीय निकाय, घरों, दफ्तरों, नालों, सड़कों, अस्पतालों की गंदगी दूर करने के लिए सरकार द्वारा वाल्मीकी समाज के लोगों को ही नियुक्त किया जाता रहा है। अर्थात समाज के घृणित सफाई कार्य में शत–प्रतिशत वाल्मीकी समाज को ही नियुक्त किया जाता रहा है। वर्तमान में विगत दो–तीन दशकों से इस असंवैधानिक व्यवस्था में बदलाव सरकारी, अर्धसरकारी, निजी क्षेत्रों में ठेके से कराया जा रहा है। यहां पर उल्लेखनीय बात यह है कि अधिकांश ठेके उच्च जाति के लोगों द्वारा लिये जाते हैं और सफाई कार्य में वाल्मीकि समाज को नियुक्त किया जाता है जिससे मोटी कमाई

ठेकेदारों की होती है। दस से बारह घण्टे काम करने वाले वाल्मीकि बंधू को नाममात्र का पारिश्रमिक मिलना आधुनिक शोषण है, क्योंकि सरकार द्वारा जिस सफाई कार्य के लिए 10,000/– रूपये प्रतिमाह वेतन दिया जा रहा है, उसी कार्य को ठेकेदार 3–4 हजार रूपये में कराके आर्थिक, सामाजिक एवं मानसिक रूप से शोषण कर रहे हैं। वाल्मीकी समाज का सबसे महत्वपूर्ण कार्य सफाई में संलग्नता है लेकिन भारतीय समाज व्यवस्था में व्यक्ति की हैसियत उसके कार्यों की जगह जाति से आंकने के कारण हासिये पर चली गई और अमानवीय व्यवहार का शिकार होती रही है। दलित शब्द वास्तव में अछूत और निम्न कानूनी संज्ञा है।

''नोबेल पुरूस्कार से सम्मानित श्री जोसेफ ई. स्टीगलिएस ने अपनी पुस्तक 'प्राईस ऑफ इनइक्वेलिटी (असमानता का मूल्य) में लिखा है, असमानता और सामाजिक पूर्वाग्रह स्वयं नहीं बनते। वाल्मीकि समाज द्वारा बनाये जाते हैं। स्कैवेजिंग (भंगी, मेहतर) की भी भारतीय समाज में यही स्थिति है क्योंकि इनकी दयनीय और घृणित स्थिति समाज द्वारा ही बनाई गई है।''

प्रख्यात समाजशास्त्री मेक्स वेबर ने अपनी पुस्तक प्रोटेस्टेट एच्छिक एण्ड स्पिरिट ऑफ केपिटलिज्म (1904–1905) में लिखा है कि ''पश्चिम में आई समृद्धि का बड़ा कारण औद्यौगिक क्रांति है न ही राज्यों का साथ है, बल्की सबसे बड़ा कारण प्रोटेस्टेट विचारधारा मेहनत, पारिवारिकता और सामाजिक मूल है अर्थात् जब सामाजिक व्यवहार उचित तकनीक के साथ मिल जाते हैं तो पूर्वाग्रहों का अंत होता है। समाजशास्त्री आगस्त काम्टे, हरबर्ट स्पेन्सर, डेबिड ने भी सामाजिक व्यवहार को सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख घटक माना है, लेकिन स्वच्छता और शौचालय के लिए भारत में कुछ नहीं हुआ जबकि स्वच्छता और शौचालय आधुनिकता की पहचान बन चुकी है। इसलिए आज आवश्यकता है स्वच्छता को एक सामाजिक मुद्दा बनाने की सच तो यह है विचारों से ही समाज में परिवर्तन होता है। फिर चाहे वे अच्छे के लिये या बुरे के लिए हो। जिस तरह शून्य के बिना गणित सम्भव नहीं है। वहीं हिम बर्नली ने 1989 में वर्ल्ड वाईड वेब, टी. व्ही. और इन्टरनेट को सम्भव बनाया यदि आपके स्नानागार में साबुन न हो तो क्या आप एक स्वच्छ जीवन के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन कोई भी हंगरी के डाक्टर इज्नांश सेमलवेश को साबुन के अविष्कार को धन्यवाद नहीं देता जबकि साबुन ने आधुनिक जीवन में बड़े पैमाने पर परिवर्तन किया है। प्रत्येक अविष्कार पारम्परिक विचारधारा से अलग सोच होती है। स्वच्छता के क्षेत्र में समुचित दृष्टिकोण मिशनरी भाव, समर्पण शीलता और पूर्ण क्षमता का अभाव होने से वाल्मीकि समाज, समाज की मुख्य धारा में नहीं जुड़ सका।

वाल्मीकी समाज जिसे वर्तमान में सफाई कामगार के नाम से जाना जाता है के लिये सामाजिक न्याय सशक्तिकरण, पुर्नवास, गरिमा प्रदान करने के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार सतत् प्रयासरत हैं। ''राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग'' नाम से एक आयोग इनके उत्थान के लिए सरकार के साथ मिलकर कार्य योजना बना रहा है। समय समय पर यह आयोग केन्द्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को अपने वार्षिक प्रतिवेदनों के माध्यम से सफाई कामगारों की समस्याओं से अवगत कराता रहता

है। आयोग ने अपने 10 वें प्रतिवेदन में सरकार को सफाई कामगारों द्वारा हाथ से मैला ढोने की जमीनी वास्तविकता को इसे पूर्ण रूप से तत्काल खत्म करने की मांग की थी। सफाई कामगारों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर शासकीय एवं अशासकीय संस्थाओं द्वारा विभिन्न कार्य किये जा रहे हैं। शासन स्तर पर जहां संविधान के माध्यम से इन्हें समानता का दर्जा विभिन्न अनुच्छेदों के माध्यम से प्रदान किया गया, वहीं आरक्षण के माध्यम से इन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करते हुये सशक्त प्रयास किये जा रहे हैं लेकिन शासन से कहीं महत्वपूर्ण कार्य अशासकीय स्तर पर एक स्वयं सेवी संगठन सुलभ इंडिया ने किया है। सुलभ इंडिया के संस्थापक डॉ. बिन्देश्वर पाठक ने महात्मा गाँधी के सपने स्वच्छता को अपनाते हुये एक क्रांतिकारी कार्य किया है। सुलभ इण्टरनेशनल स्वच्छता के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए प्रयासरत है। सुलभ इण्टरनेशनल देश में स्कैवेनजरों (मेहतर) को घृणित कार्य से मुक्ति दिलाकर मुख्य सामाजिक धारा में लाने के लिए सन् 1985 से कार्यरत है। ''स्वच्छता का समाजशास्त्र'' के माध्यम से सुलभ इण्टरनेशनल सामाजिक परिवर्तन के नये आयाम स्थापित करने प्रयासरत है। सुलभ इण्टरनेशनल ने शौचालय जिसे सुलभ शौचालय के नाम से जाना जाता है का निर्माण कर हाथ से मैला साफ करने एवं सिर पर मैला ढोने की भारत की पारम्परिक घृणित परम्परा को समाप्त करने का अनुकरणीय प्रयास किया है, लेकिन आज भी सफाई कामगार समाज मुख्यधारा से पूर्णतः नहीं जुड़ पाये हैं। प्रस्तुत शोधकार्य ''भोपाल नगर निगम के सफाई कामगार श्रमिकों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति का समाजशास्त्रीय अध्ययन'' भोपाल नगर निगम के विशेष सन्दर्भ में सफाई कामगार श्रमिकों की जमीनी हकीकत और वास्तविकता को स्पष्ट कर रहा है।

भोपाल नगर पालिक निगम सफाई कामगार श्रमिकों के अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि भोपाल नगर निगम में हिन्दू धर्मावलंबी के विभिन्न जाति (भंगी, मेहतर, वाल्मीकि, बसोड़) शहर की सफाई व्यवस्था में प्रातः 5 बजे से सायंकाल 4:30 बजे तक निरंतर कार्यरत रहते हैं। सफाई कामगार श्रमिकों में पुरूषों के साथ ही साथ महिलायें भी समान रूप भागीदार है। भोपाल शहर में सफाई व्यवस्था में संलग्न सफाई कामगार परंपरागत और आधुनिक रूप से कार्य करते हैं। यहाँ पर उल्लेखनीय तथ्य यह देखने में आया है कि सफाई कार्य एक सामूहिक कार्य योजना के रूप में संपादित किया जाता है।

सफाई कार्य में शासकीय अर्द्धशासकीय और निजी कर्मियों द्वारा कार्य किया जा रहा है। जिसमें ठेकेदारों की अहम भूमिका है। निजी ठेकेदार नगर निगम से सफाई कार्य का ठेका लेकर कर्मियों की स्वयं भर्ती करके कार्य का निष्पादन करते हैं। ठेकेदारों द्वारा बड़ी–बड़ी मशीनों डम्पर के माध्यम से वार्डों में रखे गये कंटेनर से कचरा एकत्र करवाकर शहर के बाहर फेंका जाता है।

नगर निगम सफाई कामगार श्रमिक के अध्ययन में एक रोचक तथ्य यह स्पष्ट हुआ है कि सफाई कार्य में पुरूषों का एकाधिकार नहीं है बल्कि महिलायें भी पुरूषों के साथ–साथ सहयोगी की भूमिका में संलग्न है एवं ये आत्मनिर्भर हो रही है। वहीं सफाई कार्य में 25 से 45 आयु वर्ग के श्रमिक ही कार्यरत हैं।

जिसमें 25 से 30 आयु वर्ग का वर्चस्व देखा गया है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि सफाई कार्य एक ऐसा कार्य है जिसमें 45 आयु वर्ग के लोग ही संलग्न है। अर्थात् वृद्धों की इसमें भूमिका नगण्य मिली।

जातीय संरचना से भी परिचय मिलता है कि भोपाल नगर निगम में वाल्मीकि जाति का बाहुल्य है एवं एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी ज्ञात हुआ कि यहाँ पर बसोड़ जाति जिसका पारंपरिक कार्य बांस निर्मित उत्पाद (टोकरी, झाड़ू, सूफा) आदि बनाना है। वे भी अपने पारंपरिक कार्यों को छोड़कर सफाई कार्य में संलग्न हो गये हैं।

नगर पालिक निगम सफाई कामगारों के अध्ययन से ज्ञात हुआ कि 21वीं सदी और प्रदेश की राजधानी भोपाल महानगर में जो कि शिक्षा का एक बहुत बड़ा केन्द्र है। मैं 25 प्रतिशत सफाई कामगार निरक्षर है जो प्रदेश के साक्षरता अभियान पर प्रश्नचिन्ह लगाता है। 25 प्रतिशत निरक्षरता आज भी होने के कारण ही सफाई कामगार श्रमिकों की साक्षरता हाईस्कूल तक ही हो सकी है।

भोपाल नगर पालिक निगम क्षेत्र में संलग्न सफाई कामगार मूलतः भोपाल के ही निवासी है। जो यहाँ विगत 20 वर्षों से निवासरत हैं। सफाई कार्य में संलग्न कर्मियों से ज्ञात हुआ कि ये इनका पारंपरिक कार्य बन गया है। पीढ़ी दर पीढ़ी इस कार्य में इनका समायोजन हो रहा है। इस कार्य में परिवार सहित संलग्नता का एक मुख्य कारण इनका संयुक्त परिवार में निवास होना भी है क्योंकि 60 प्रतिशत से अधिक सफाई कामगार श्रमिक आज भी शहरी संरचना से अप्रभावित हो संयुक्त परिवार व्यवस्था का अनुपालन कर रहे हैं।

भोपाल नगर पालिक निगम का सामान्य परिचय

नगर निगम या महानगर पालिका बड़े नगरों में स्थापित किये जाते हैं जिन्हें 74 वें संशोधन में बड़े नगरीय क्षेत्र (large urban area) कहा गया है । एक नगर बड़ा नगरीय क्षेत्र है अथवा नहीं, इसका निर्णय राज्य सरकार करती है परन्तु राज्य सरकार को कई बातें ध्यान में रखनी पड़ती हैं इनका उल्लेख पिछले पृष्ठों में नगर पंचायत तथा नगरपालिका पर विचार करते हुये किया गया था। यह मापदण्ड विभिन्न राज्यों में भिन्न–भिन्न होता है।

आर्थिक तथा सामाजिक विकास के कार्य :–

सड़कें, तथा पुल, घरेलू, औद्यौगिक तथा वाणिज्य कार्यों के लिये जल आपूर्ति, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सफाई, मल हटवाना, तथा ठोस गन्दगी प्रबन्धन, नगरीय वृक्षारोपण पर्यावरण की सुरक्षा तथा परिस्थितिक दृष्टिकोण का प्रोत्साहन, समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा, गन्दी बस्तियों का सुधार तथा श्रेष्ठीकरण, नगरीय निर्धनता को दूर करना, नगरीय सुविधाओं जैसे पार्कों, पुस्तकालयों, उद्यानों, क्रीड़ा स्थलों

आदि का निर्माण, सांस्कृतिक, शैक्षिक तथा अध्यात्मिक दृष्टिकोंण का विकास, कब्रिस्तान तथा श्माशन घाट, पशु जलाशय, पशुओं पर अत्याचार को रोकना, जन्म तथा मृत्यु लिखने के साथ महत्वपूर्ण आंकड़े एकत्रित करना, गलियों की रोशनी, पार्किंग स्थान, बस स्टाप और जन सुविधायें जैसे सार्वजनिक सुविधायें, बूचड़ खानों तथा चमड़ा पकाने के स्थानों पर नियंत्रण।

नगरीय प्रशासन के कर्मचारियों के प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। बहुत सारे नगरीय प्रशासन अभी भी ''भूल विधि से'' (Trial and error method) कर्मचारियों को सिखाते हैं, यह पद्धति न केवल मंहगी पड़ती है अपितु पुरातन भी है। प्रशिक्षणहीन कर्मचारी न केवल भद्दा कार्य करते हैं अपितु जनता के सम्मुख नगरीय प्रशासन का चेहरा भी खराब पेश करते हैं। अतः इस बात की आवश्यकता है कि नगरीय प्रशासन अपने कर्मचारियों के कौशल का विकास करने के लिए प्रशिक्षण का एक व्यवस्थित कार्यक्रम आरम्भ करें ताकि वे जनता के साथ नम्रता और कुशलता का व्यवहार कर सकें।

(1. एम. पी. शर्मा एव ंबी. एल. सडाना :– लोक प्रशासन, किताब महल, पटना 2011, पृष्ठ 360)

भोपाल नगर पालिक निगम 1907 से अस्तित्व में आयी है। तत्कालीन भोपाल राज्य की प्रथम नगरीय निकाय संस्था 'मंजलिस ए इत्तेजामियाँ' थी। वर्ष 1956 तक भोपाल की नगरीय निकाय के अन्तर्गत आने वाली सीमा बहुत छोटी थी, किन्तु कालान्तर में इसमें आस–पास के गाँवो को मिलाकर (सम्मिलित) करने का क्रम जारी रहा। वर्ष 1975 तक 71.23 वर्ग किमी. तक थी।

वर्तमान में भोपाल नगर निगम के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्रफल 285 वर्ग किमी है इसमें कुल 70 वार्ड हैं।

मध्यप्रदेश नगर निगम अधिनियम 1956 से लेकर भोपाल नगर की जनसंख्या वर्ष 2001 के अनुसार 14.88 लाख थी जो 2011 में यह बढ़कर लगभग 18.00 लाख (17.95 लाख) तक पहुँच गई है। भोपाल शहर का लिंगानुपात जनसंख्या 2011 के अनुसार 17,95,648 है जिसमें पुरूषों की जनसंख्या 9,39,423 एवं महिलाओं की जनसंख्या 8,56,088 है तथा नगर में 70 वार्ड एवं 14 जोनों में विभाजित है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सभी 14 जोन में वार्ड सम्मिलित हैं।

नगर निगम भोपाल वर्तमान में 2250 दैनिक वेतन भोगी सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं जो कि विभिन्न विभागों/शाखाओं/प्रकोष्ठों एवं जोनो में कार्यरत हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त निगम के विभिन्न विभागों/शाखाओं एवं जोनल कार्यालय एवं प्रकोष्ठों में कार्यालयीन कार्यों एवं विशेष सफाई कामगार अस्थाई रूप से दैनिक वेतन कर्मी के रूप में नियुक्त कर कार्य किया जा रहा है। यह संख्या आवश्यकतानुसार समय–समय पर घटती–बढ़ती रहती है।

भोपाल शहर के इतिहास से स्पष्ट होता है कि यहाँ पर इसके पूर्व से लेकर वर्तमान तक इसकी साफ–सफाई एवं स्वच्छता संबंधी कार्य सफाई कामगारों (सफाई कर्मियों) द्वारा किये जाते हैं। 285 वर्ग

किमी. का क्षेत्र एक व्यापक क्षेत्रफल है । जिसमें लगभग 18 लाख जनसंख्या निवास करती है। इतने बड़े क्षेत्रफल एवं जनसंख्या का ''स्वास्थ्य'' उचित सफाई व्यवस्था पर ही निर्भर है। वर्तमान में यह दायित्व लगभग 2250 सफाई कामगारों (सफाई कर्मियों) के कंधो पर है। वर्तमान में महिला सफाई कामगार 300, पुरूष सफाई कामगार 850 हैं।

स्वास्थ्य एवं पर्यावरण विभाग द्वारा अन्य विभागों स्वास्थ्य विभाग/निगम चिकित्सालय/वेटनरी शाखा/उद्यान विभाग/झील संरक्षण प्रकोष्ठ एवं मलेरिया के साथ मिलकर बीमारियों से बचने हेतु दवाईयों का छिड़काव आदि कार्य किया जाता है। स्वास्थ्य विभाग सफाई कर्मचारियों के माध्यम से सम्पूर्ण शहर में झाड़ू लगवाना, कर्मचारियों एवं वाहनों के माध्यम से कचरा कंटेनरों से उठवाना तथा वाहनों के माध्यम से कचरे को ट्रेचिंब ग्राउण्ड (भानपुर खन्ती) तक पहुँचाने का कार्य सम्पन्न किया जाता है। भोपाल में एक दिन में लगभग 400 से 450 टन कचरा उत्पन्न होता है जिसे प्रतिदिन सफाई कामगारों (सफाई कर्मियों) द्वारा प्रतिदिन भानपुर खन्ती तक पहुँचाया जाता है। इस कार्य की पूर्णता के लिये व्यवस्था की दृष्टि से नगर निगम भोपाल को 14 जोनो एवं 70 वार्डों में विभाजित किया गया है।

साफ–सफाई व्यवस्था :–

भोपाल शहर का क्षेत्रफल काफी विस्तृत है एवं पिछले वर्षों से नगर पालिक निगम भोपाल द्वारा सफाई के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए शहर के विभिन्न क्षेत्रों से कचरा उठवाया जाता है।

नगर पालिक निगम भोपाल के सफाई कामगारों (सफाई कर्मी) प्रातः 8.00 बजे से 10.00 बजे के बीच झाड़ू से मार्केट/वार्ड/क्षेत्र में साफ–सफाई करते हैं एवं फिर कचरा उठाकर ट्रकों के द्वारा खन्ती तक पहुँचाया जाता है।

1. भोपाल नगर पालिक निगम की जनसंख्या वर्ष 2011 – 23,68,145
   - कुल पुरूष जनसंख्या – 12, 39,378
   - कुल महिला जनसंख्या – 11,28,767
   - जनसंख्या का कुल प्रतिशत – 82.3%
   - पुरूष जनसंख्या का कुल प्रतिशत – 87.4%
   - महिला जनसंख्या का कुल प्रतिशत – 76.6%

2. मध्यप्रदेश कुल जनसंख्या वर्ष 2011 – 7,25,97,565
   - कुल पुरूष जनसंख्या – 3,76,12,920
   - कुल महिला जनसंख्या – 3,49,84,645

भोपाल मध्यप्रदेश में अस्वच्छ धंधे में कार्यरत् 13 हजार 260 सफाई कामगारों के पुनर्वास में पिछले पांच वर्षों में 90 करोड रूपये की राशि खर्च की गई है। उनमें राजनीतिक सहभागिता का विकास हुआ है उन्होंने इस अध्ययन में पाया कि अनुसूचित जातियाँ, जिन्हें परंपरागत नेतृत्व में स्थान प्राप्त नहीं होता था, अब नेतृत्व प्राप्त करने की दिशा में तीव्र गति से अभिमुखी हो रही हैं। अनुसूचित जातियों को ग्राम स्तर पर नेतृत्व में 22.85 प्रतिशत स्थान तथा क्षेत्रीय स्तर पर 11.53 प्रतिशत स्थान प्राप्त हुये हैं। इस आनुभविक अध्ययन में अनुसूचित जातियों के सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक विकास की पुष्टि भी की गई है। दलित व उच्च जातियों में जो भेदभाव परिलक्षित होता था, अब वह शनैः शनैः दूर हो चुका है; जो कि अनुसूचित जातियों की राजनैतिक जागरूकता तथा राजनैतिक चेतना का ही परिणाम है।

सफाई कामगार श्रमिकों की मासिक आय

मासिक आय वितरण (रूपयों में)	पुरूष		महिला		कुल योग	
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
3000–3500	78	52.00	82	54.68	160	53.33
4400–6000	32	21.33	22	14.66	54	18.00
12000–18000	26	17.34	22	14.66	48	16.00
18001 से अधिक	14	9.33	24	16.00	38	12.67
योग	150	100	150	100	300	100

सफाई कामगारों की मासिक आय की विवेचना से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक 53.33% की मासिक आय मात्र 3000–3500 रू. तक है। 18% की मासिक आय 4400–6600 रूपये, 16% की 12000–18000 रूपये तक और 12.6% की आय 18001 से अधिक है। सफाई कामगारों की मासिक स्थिति सुदृढ़ नहीं है, लेकिन सभी गरीबी रेखा के ऊपर है।

मध्यप्रदेश शासन की प्रदत्त सुविधायें

शासकीय सुविधायें	पुरूष		महिला		कुल योग	
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
राशन कार्ड	150	100	150	100	300	100
दीनदयाल कार्ड	150	100	150	100	300	100
बी.पी.एल. कार्ड	150	100	150	100	300	100

कन्यादान	150	100	150	100	300	100
लाड़ली लक्ष्मी	150	100	150	100	300	100
एक बत्ती बिजली	150	100	150	100	300	100

तालिका 3.4 में म.प्र. शासन द्वारा प्रदत्त सुविधाओं के बारे में ज्ञात हुआ है कि भोपाल नगर निगम के सभी सफाई कामगार श्रमिकों को म.प्र. शासन की राशन कार्ड, दीनदयाल कार्ड, बी.पी.एल. कार्ड, कन्यादान, लाड़ली लक्ष्मी, एक बत्ती कनेक्शन, सुविधाऐं प्राप्त हो रही है।

निष्कर्ष

भोपाल नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 70 वार्ड में सफाई कार्यों में संलग्न वाल्मीकी समाज के व्यक्तियों का समाज वैज्ञानिक अध्ययन है। वाल्मीकी समाज एक लम्बे समय से समाज में सफाई कार्य में संलग्न है। सिर पर मैला ठोने की अमानवीय प्रथा का निर्वहन करते हुए। वाल्मीकी समाज के व्यक्ति समाज को स्वच्छ रखते है। समाज के विकास के साथ समाज का विभाजन भी होता गया। जनजातीय, ग्रामीण, नगरीय, औद्योगिक समाज विभक्त सामाजिक व्यवस्था दिन प्रतिदिन विकसित और जटिल होती जा रही है।

समाज के प्रारंभिक चरणों में जनसंख्या का घनत्व कम होने के कारण समाज व्यवस्थित था। स्वच्छता पर समाज पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था। प्रकृति स्वयं ही स्वच्छता का कार्य स्वयं ही करती थी लेकिन कालांतर में संभवना के क्रम के मानव समाज द्वारा निरंतर विकास की ओर अग्रसर होने के परिणाम स्वरूप समाज में स्वच्छता एक सामाजिक मुद्दा बन चुका है। स्वच्छता का समाज शास्त्र एक नई वैचारिकी समाज में विकसित हुई है, जिसने समाज को स्वस्थ्य रखने के दृष्टिकोण से सामाजिक स्वच्छता को महत्व दिया जाने लगा। उन्नीसवीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप नगरी समाज में विभिन्न सामाजिक समस्याओं को उद्य हुआ, जिसके अंतर्गत गंदी बस्ती और पर्यावरण प्रदूषण दो प्रमुख समास्यें समाज का अभिन्न अंग बन गई शहरों में ग्रामीण क्षेत्रों के प्रवासित होने के कारण जनसंख्या घनत्व बढ़ने से आवास की समस्या उत्पन्न होने लगी इसके साथ ही जल, मल विकासी और औद्योगिक इकाईयों से निकलने वाली अपशिष्ट का निरस्तारण एक महत्वपूर्ण समय के रूप में उहित हुआ।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. आर.गीता (2005) इंडिया स्टीकिंग, मैनुअल स्कैवेन्जर्स इन आंध्रप्रदेश एंड देअर वर्क नवयाना पब्लिशिंग चैन्नई।
2. अरूण ठाकुर और मोहम्मद खडस (1996) :– नरक सफाई डी के पब्लिकेशन नई दिल्ली।
3. आहूजा राम (2011) :– भारतीय समाज रावत पब्लिकेशन दिल्ली।

बाटोमोर टी.बी. (2007) :– समाजशास्त्र समस्याओं और साहित्य का अध्ययन ब्रोकर नाइट प्रिटिंग प्रेस नई दिल्ली।

4. भारद्वाज ए. एन. (1987) :– अस्पृश्यता एवं मानवता, किताब घर दिल्ली।
5. बार्बद बी. (1957) :– सोशल स्ट्रेटीकिकेशन, राबर्ट के मेर्टन (एड.) ए. कम्प्रीहेसिव एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड एजुकेशन, हारॉर्ट, न्यूयार्क।
6. भारतीय संतोष (2004) :– दलित अल्पसंख्यक सशक्तिकरण, बनयान थ्री बुक्स, दिल्ली।
7. दुबे एस.एम. (1975) :– सोशल मोबिलिटी विथ रिफरेंस हू माडर्न एजुकेशन इन गोरखपुर (उ.प्र.) अनपब्लिशड रिसर्च।
8. दुबे श्यामाचरण (1994) :– शिक्षा समाज और भविष्य राधाकृष्ण प्रकाशन नई दिल्ली।
9. दुबे श्यामाचरण (2011) :– भारतीय समाज नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया दिल्ली।
10. दास भगवान (2008) :– मैं भंगी हूं, हार्ड कवर फुलसरकल पब्लिशिंग प्रायवेट लिमिटेड, नई दिल्ली।
11. दीक्षित ध्रुव कुमार (2002) :– समाजशास्त्रीय अनुसंधान की पद्धतियां, कैलाश बुक सदन भोपाल।
12. दीक्षित आर. के. (1996–97) :– उत्तरप्रदेश वार्षिकी सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ।
13. गुप्ता एण्ड शर्मा (2012) :– समाजशास्त्र साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा।